

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 906]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 2003/आश्विन 9, 1925

No. 906]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2003/ASVINA 9, 1925

पर्यावरण और वन मंत्रालयं

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2003

का०आ० 1147(अ).— केन्द्रीय सरकार जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 8 की उपधारा (1) और (4) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नामक निकाय की स्थापना 1 अक्तूबर, 2003 से ही करती है जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा।

धारा 8 की उप धारा (4) के खंड (क) के अधीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त सदस्य:

(1) श्री विश्वनाथ आनंद

आध्यक्ष

धारा ८ की उप धारा (4) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त पदेन सदस्य :

- (2) जनजाति मामले मंत्रालय में संयुक्त सचिव, भारत सरकार
- (3) भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय में अपर महानिदेशक (वन)
- (4) पर्यावरण् और वन मंत्रालय में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार

धारा 8 की उप धारा (4) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त पदेन सदस्य:

- (5) कृषि मंत्रालय में, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार
- (6) जैव प्रौद्योगिकी विभाग में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार
- (7) महासागर विकास विभाग में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार
- (8) कृषि और सहकारिता विभाग में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार
- (9) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी पद्धति विभाग में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार
- (10) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार
- (11) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार
- धारा 8 की उप धारा (1) के खंड (घ) के अधीन नियुक्त गैर-सरकारी सदस्य:
- (12) रिवत
- **(13)** रिक्त

2841 GI/2003

(1)

- (14) रिक्त
- (15) रिक्त
- (16) रिक्त
- 2. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्यों की पदाविध 1 अक्तूबर, 2003 से तीन वर्ष की अविध के लिए होगी:

परन्तु राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में श्री विश्वनाथ आनंद की पदावधि 14 जुलाई, 2004 तक या नियमित आधार पर अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर की होगी।

[फा. सं॰ जे-22018/46/2003-सीएससी (बीसी)]

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2003

S.O. 1147(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (4) of Section 8 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government hereby establishes a body to be called the National Biodiversity Authority, on and from the 1st day of October, 2003 for the purposes of the said Act consisting of the following members, namely:—

Member appointed as Chairperson under clause (a) of Sub-section (4) of Section 8:

(1) Shri Vishwanath Anand

Chairperson

Ex-officio members appointed under clause (b) of Sub-section (4) of Section 8:

- (2) Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Tribal Affairs.
- (3) Additional Director General (Forests), Ministry of Environment and Forests, Government of India
- (4) Joint Secretary to the Government of India dealing with the subject in the Ministry of Environment and Forests. Ex-officio members appointed under clause (c) of Sub-section (4) of Section 8
- (5) Joint Secretary to the Government of India dealing with the subject in the Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture.
- (6) Joint Secretary to the Government of India, dealing with the subject in the Department of Biotechnology.
- (7) Joint Secretary to the Government of India, dealing with the subject in the Department of Ocean Development.
- (8) Joint Secretary to the Government of India, dealing with the subject in the Department of Agriculture and Cooperation.
- (9) Joint Secretary to the Government of India, dealing with the subject in the Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy.
- (10) Joint Secretary to the Government of India, dealing with the subject in the Department of Science and Technology.
- (11) Joint Secretary to the Government of India, dealing with the subject in the Department of Scientific and Industrial Research.

Non-Official members appointed under clause (d) of Sub-section (4) of Section 8:

- (12) Vacant.
- (13) Vacant.
- (14) Vacant.
- (15) Vacant.
- (16) Vacant.
- 2. The term of office of the members of the National Biodiversity Authority shall be for a period of three years from the 1st day of October, 2003:

Provided that the term of office of Shri Vishwanath Anand as Chairperson of the National Biodiversity Authority shall be upto the 14th July, 2004 or till a regular Chairperson is appointed whichever is earlier.

[F.No. J-22018/46/2003-CSC(BC)] DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.